

भारत सरकार
कोयला मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *67

जिसका उत्तर 07 फरवरी, 2024 को दिया जाना है

कोयला खान के ओवरबर्डन (ओबी) डंप

*67. श्री पशुपति नाथ सिंह:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में कोयला खानों के ओवरबर्डन (ओबी) डंप की अस्थिरता से उत्पन्न समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या धनबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (जिसे देश की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है) की कोयला खानों में उक्त ओबी डम्प एक प्रमुख समस्या है;

(घ) क्या सरकार का उक्त भूमि को समतल करके विस्थापित लोगों का पुनर्वास करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का इस संबंध में कोई पहल करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो खनन क्षेत्रों के आस-पास रहने वाले लोगों द्वारा ओबी डंप की गंभीर समस्या का समाधान किस प्रकार करने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (च) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

‘कोयला खान के ओवरबर्डन (ओबी) डंप’ के संबंध में माननीय श्री पशुपति नाथ सिंह, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 07.02.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *67 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : जी, हां। कोयला मंत्रालय देश की कोयला खानों के ओवरबर्डन (ओबी) डंप की अस्थिरता से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से अवगत है।

(ख) : ओवरबर्डन डंप की अस्थिरता से जुड़ी प्रमुख समस्या, यदि कोई है, ओबी डंप की विफलता के कारण डंप सामग्री का खिसकना है। तथापि, ओबी / अपशिष्ट डंप की ढलानों की ऐसी विफलता को रोकने के लिए कोयला खान विनियम (सीएमआर)-2017 के विनियम संख्या 108 के तहत विभिन्न सांविधिक प्रावधान किए गए हैं।

(ग) : उक्त ओबी डंप धनबाद संसदीय क्षेत्र की कोयला खानों के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है क्योंकि कोयला मंत्रालय के अधीन बीसीसीएल की कोयला खानों में ओबी डंप की अस्थिरता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कोयला खान विनियम-2017 के विनियम संख्या 108 के तहत किए गए सांविधिक प्रावधानों और पर्यावरण मंजूरी (ईसी) की विभिन्न शर्तों के अनुसार सभी आवश्यक और अपेक्षित एहतियाती उपाय किए जाते हैं।

(घ) : कोयला मंत्रालय के अधीन बीसीसीएल में मल्टी-सीम कार्यप्रणाली है, इस प्रकार वर्तमान में उक्त भूमि को समतल कर विस्थापित लोगों के पुनर्वास का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ड.) और (च) : ओबी डंप की समस्या का समाधान करने के लिए, कोयला खान विनियम 2017 (सीएमआर, 2017) के विनियम 106 में प्रावधान किए गए हैं, जिसमें काम करने की पद्धति, अंतिम पिट स्लोप, डंप स्लोप और डंप स्थिरता की निगरानी के लिए ओपनकास्ट कोयला खान शुरू करने से पहले वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता होती है। स्थिरता के लिए खराब किनारों और डंपों के लिए सीएमआर 2017 के विनियम 108 के तहत भी पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, ओपनकास्ट कोयला खानों में ढलानों के वैज्ञानिक अध्ययन और सुव्यवस्थित निगरानी के लिए दिशानिर्देश वर्ष 2020 के क्रमशः डीजीएमएस (टेक) परिपत्र संख्या 03 और 02 के माध्यम से जारी किए गए हैं। कोयला खानों में जोखिम मूल्यांकन के आधार पर सुरक्षा प्रबंधन योजना के संबंध में सीएमआर 2017 के विनियम 104 में प्रावधान किए गए हैं, जिनमें डंप स्थिरता की निगरानी के लिए उचित नियंत्रण उपाय और अनुपालन किए जाने वाले एसओपी भी शामिल हैं।

इसके अलावा, ओवरबर्डन डंप की जियोमेट्री, उसके स्थान और स्थिरता के लिए खानों के निरीक्षण के दौरान डीजीएमएस द्वारा ओवरबर्डन डंप का निरीक्षण किया जाता है। किसी भी उल्लंघन की स्थिति में उचित कार्रवाई की जाती है।
